न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली स्थित कैराना।

उपस्थितः– अरूण सिंह ------(उ.प्र. न्यायिक सेवा)

वाद संख्या – 144/9/2013

सरकार--अभियोजन,

बनाम

(1)– विजेन्द्र सिंह पुत्र लहरी सिंह
निवासी–भभीसा, थाना–कांधला, जिला–शामली।

--- -----------------------अभियुक्त

धारा– 354,323 भा.द.सं.
मु.अ.सं.– 146/2013
थाना– कांधला, जिला–शामली।

निर्णय

पुलिस थाना कांधला के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 146/2013, अंतर्गत धारा– 354,323, भा.द.सं. में अभियुक्त विजेन्द्र सिंह को तलब कर दण्डित करने के लिए आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक–24/25.03.2013 समय करीब 01.00 बजे रात्रि का वाकिया है। मेरा भाई विजेन्द्र रात को दारू के नशे में धुत होकर रात के 1.00 बजे बदनीयती से मेरे घर की दीवार कूदकर मेरी बीबी पर बुरी नीयत से हमला किया और मारपीट की। मैं उस समय पानी चलाने के लिये खेत पर जा रहा था तभी मैंनने अपनी पत्नि के चीखने की आवाज सुनी और दौड़कर उसे मैंने और मेरे लड़के ने बचाया, जिसमें मेरी पत्नि के काफी चोंटे आयी और मेरे भाई ने मेरी पत्नि के सर के बाल तक ऊखाड़ दिये। कानूनी कार्यवाही करने की याचना की गयी।

वादी मुकदमा की तहरीर पर अभियुक्त के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान गवाहान के बयान अंकित किये गये तथा घटना स्थल का नक्शा नजरी बनाया गया। बाद विवेचना अभियुक्त विजेन्द्र सिंह पुत्र लहरी सिंह के विरूद्ध धारा354,323 भा.द.सं. के अंतर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय द्वारा उक्त आरोप पत्र पर संज्ञान लिया गया। अभियुक्त द्वारा अपनी जमानत करायी गयी। अभियुक्त को अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्रदान की गयी। अभियुक्त विजेन्द्र सिंह पुत्र लहरी सिंह के विरूद्ध धारा354,323 भा.द.सं.के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप विरचित किये गये। अभियुक्त को आरोप पत्र पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से गवाही में साक्षी योगेन्द्र पुत्र लहरी सिंह को बतौर पी०डब्लू० 1, मंजू पत्नि योगेन्द्र सिंह को बतौर पी०डब्लू० 2 व विक्रांत तंवर पुत्र योगेन्द्र सिंह को बतौर पी०डब्लू० 3, परीक्षित कराया गया। अभियुक्तके विद्वान अधिवक्ता ने पुलिस प्रपत्रों की औपचारिकता स्वीकार की। तदोपरांत अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया गया।

अभियुक्त का बयान अंतर्गत धारा 313 द.प्र.सं. अंकित किया गया। अभियुक्त द्वारा अभियोजन कथानक को गलत बताया गया है।

उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई तथा उनके तर्कों के आलोक में पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का सम्यक रूप से परीशीलन किया गया।

निष्कर्ष

प्रस्तुत मामले में अभियोजन को साक्ष्य से संदेह से परे इन तथ्यों को साबित करना है कि दिनांक –24/25.03.2013 समय करीब 01.00 बजे रात्रि का वाकिया है। मेरा भाई विजेन्द्र रात को दारू के नशे में धुत होकर रात के 1.00 बजे बदनीयती से मेरे घर की दीवार कूदकर मेरी बीबी पर बुरी नीयत से हमला किया और मारपीट की। मैं उस समय पानी चलाने के लिये खेत पर जा रहा था तभी मैंनने अपनी पत्नि के चीखने की आवाज सुनी और दौड़कर उसे मैंने और मेरे लड़के ने बचाया, जिसमें मेरी पत्नि के काफी चोंटे आयी और मेरे भाई ने मेरी पत्नि के सिर के बाल तक ऊखाड़ दिये।

अभियोजन द्वारा मामले को साबित करने के लिये पी० डब्लू० 1 के रूप में योगेन्द्र पुत्र लहरी सिंह को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि घटना अब से करीब 6 वर्ष पूर्व की है। करीब 1.00 बजे रात मेरा भाई विजेन्द्र नशे में धुत होकर दीवार फांदकर मेरे घर में घुस आया था। मेरी पत्नि मन्जू आंगन में ही सो रही थी। मेरे भाई विजेन्द्र ने बुरी नीयत से उस पर हमला किया और मारपीट की। मैं उस समय अपने खेत पर

पानी देने के लिए जा रहा था तो अपनी पत्नि की चींखने की आवाज सुनकर लौटकर वापस आया तो देखा की मेरा बच्चा विक्रांत जो मेरी पत्नि के बराबर चारपाई पर सो रहा था शोर की आवाज सुनकर उठ गया और अपनी मम्मी को मेरे भाई से बचाने लगा। मैंने भी आकर अपनी पत्नि को छुड़ाया। मारपीट में मेरी पत्नि को काफी चोंटे आयी थी। मैंने अपनी पत्नि का शोर सुनकर वहां और भी लोग इकट्ठा हो गये। मुकदमे की तहरीर मैंने एक व्यक्ति से लिखवाकर थाना कांधला पर दी थी। गवाह ने तहरीर देखकर अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त की जिसपर डाली गयी तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ।

अभियोजन द्वारा मामले को साबित करने लिये पी०डब्लू० 1. ने अपनी जिरह में कहा है कि मुल्जिम मेरा सगा भाई है। दिनांक 24/25.03.2013 को रात में 01.00 बजे मैं अपने खेत पर पानी चलाने गया था। जो मेरे घर से करीब 1.00 कि.मी. दूर है। मुल्जिम विजेन्द्र ने मेरे सामने मेरी पत्नि के साथ बुरी नीयत से छेड़छाड़ नहीं की थी न कोई मारपीट की। मुझे फोन द्वारा घर पर बुलाया गया था। उस समय वहां पर काफी लोग इकट्ठा थे। मैंने तहरीर गांव के किसी व्यक्ति से लिखवाकर थाने पर दी थी जो उसने मुझे पढ़कर नहीं सुनायी थी न मैंने पढ़ी थी। मुल्जिम विजेन्द्र का नाम तहरीर लिखने वाले ने नहीं बताया था उसमें कैसे लिख लिया। मैं नहीं बता सकता हूँ। तहरीर लिखने वाले का नाम अब मुझे ध्यान नहीं है। दारोगा जी ने मेरे से पूछताछ की किन्तु मैंने अपने बयानों में दारोगा जी से अपनी पत्नि के साथ छेड़छाड़ करने व मारपीट करने की बात नहीं बताई थी। दारोगा जी ने मेरे बयान से विजेन्द्र का नाम छेड़छाड़ करने व मारपीट करने वालों में कैसे लिख लिया मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकता हूँ। विजेनद्र द्वारा मेरी पत्नि से छेड़छाड़ करने व मारपीट करने की बात मुझे मेरी पत्नि व लड़के ने नहीं बतायी थी। हमारी आपस में डोलबंदी का विवाद चल रहा था। इसलिए गांव के लोगों के कहने–सुनने पर मैंने यह रिपोर्ट लिखवाई थी। हाजिर अदालत मुल्जिम विजेन्द्र ने मेरी पत्नि मंजू के साथ बुरी नीयत से छेड़छाड व मारपीट मेरे सामने नहीं की थी।

अभियोजन द्वारा मामले को साबित करने के लिये पी० डब्लू० 2 के रूप में मंजू पत्नि योगेन्द्र को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसनें अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि घटना 7 वर्ष पहले की है। रात के करीब 1.00 बजे मैं अपने घर में बाथरूम के लिये उठी। अंधेरा होने की वजह से मुझे ठोकर लग गई व मैं गिर गई जिससे मुझे चोट आ गयी। जिसका डाक्टरी मुआयना सी.एच.सी. कांधला में हुआ था। हाजिर अदालत मुल्जिम विजेन्द्र को जानती–पहचानती हूँ। इसने मेरे साथ छेड़छाड़ नहीं की थी न ही मारपीट की थी। इस स्तर पर अभियोजन की प्रार्थना पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया जाता है और जिरह की अनुमति प्रदान की जाती है।

अभियोजन द्वारा मामले को साबित करने के लिये पी०डब्लू02.मंजू पत्नि योगेन्द्र ने अपनी जिरह में कहा है कि गवाह को 161 द.प्र.सं. का बयान पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान दारोगा जी को नहीं दिया। कैसे लिख लिया नहीं बता सकता। मेरे साथ किसी ने कोई छेड़खानी नहीं की थी। यह कहना सही है कि हमारा समझौता हो गया है परन्तु यह कहना गलत है कि समझौते के कारण झूठी गवाही दे रहा हूँ। हाजिर अदालत विजेनद्र ने मेरे साथ कोई छेड़छाड़ या मारपीट नहीं की, न ही बुरी नीयत से कोई हमला किया। विजेन्द्र मेरा देवर है और इसने मेरे साथ कोई घटना घटित नहीं की। गिरने के कारण मुझे चोट आई थी।

अभियोजन द्वारा मामले को साबित करने के लिये पी० डब्लू० 3 के रूप में विक्रांत तंवर पुत्र योगेन्द्र सिंह को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसनें अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि घटना सात वर्ष पहले की है। मैं अपने घर में सो रहा था मेरे सामने कोई घटना नहीं हुई। मैंने कुछ नहीं देख। हाजिर अदालत विजेन्द्र ने मेरी मम्मी के साथ अभद्र व्यवहार व छेड़खानी व मारपीट नहीं की। इस स्तर पर गवाह को अभियोजन की प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित किया जाता है और जिरह की अनुमति दी जाती है।

अभियोजन द्वारा मामले को साबित करने के लिये पी०डब्लू० 3. विक्रांत तंवर पुत्र योगेन्द्र सिंह ने अपनी जिरह में कहा है कि गवाह को 161 द.प्र.सं. का बयान पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान दारोगा जी को नहीं दिया कैसे लिख लिया नहीं बता सकता। हाजिर अदालत मुल्जिम विजेन्द्र को जानता हूँ वह मेरा चाचा है। विजेन्द्र ने मेरा माँ के साथ कोई छेड़छाड़ व बदतमीजी नहीं की। न ही मारपीट की। मैंने कोई घटना नहीं देखी।

आपराधिक विधि का यह मूलभूत सिद्धांत है कि अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को संदेह से परे अभियोजन साक्ष्य से साबित करें। केवल साक्षी पी०डब्लू० 1, ने अपनी मुख्य परीक्षा में घटना का समर्थन किया है। वाकी पी०डब्लू० 2 व पी०डब्लू० 3 ने अपनी मुख्य परीक्षा में ही घटना का समर्थन नहीं किया है।

उपरोक्त गवाहों के बयानों के तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पहुंचता है कि गवाहों ने घटना का समर्थन नहीं किया है।

अतः अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध संदेह से परे मामला साबित नहीं होता है तथा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में अभियुक्त विजेन्द्र सिंह पुत्र लहरी सिंह को अंतर्गत धारा 354,323, भा.द.सं.के आरोपों से दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त विजेन्द्र सिंह पुत्र लहरी सिंह को अंतर्गत धारा 354,323, भा.द.सं के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है उसका जमानतनामा एवं बंधपत्र निरस्त किया जाता है तथा प्रतिभू को उसके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

दिनांकः – 25.03.2021

(अरूण सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
शामली।

आज यह निर्णय व आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांकः – 25.03.2021

(अरूण सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
शामली।